ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्या - उ0मु0का0अ0/2008/316
दिनांक - 09/07/~~जून~~ 2008

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की आबंटित परिसम्पत्तियों का आवासीय भूखण्ड / भवन हस्तांतरण कतिपय शर्तों के साथ अनुमन्य किया जाता है। शर्त संख्या 2 में प्राविधान है कि **अंतरिकी द्वारा हस्तांतरण अनुमति जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर निबंधित अंतरण प्रलेख का निबंधन संबंधित उप निबंधक कार्यालय सैक्टर गामा (चितवन एस्टेट) ग्रेटर नोएंडा में सुनिश्चित किया जाना चाहिये।** यह देखने में आया है कि कई प्रकरणों में अन्तरण अनुमति प्रदान किये जाने के 90 दिनों के भीतर हस्तांतरण प्रलेख (ट्रांसफर डीड) निष्पादित नहीं कराई गई है।

एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि भूखण्ड हस्तांतरण अनुमति की शर्त संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

2. अंतरक एवं अंतरिकी के मध्य इस हस्तांतरण अनुमति जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अंतरण प्रलेख का निबंधन संबंधित उप निबंधक कार्यालय में कराकर उसकी प्रति इस प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। इस अंतरण प्रलेख का परीक्षण किया जायेगा। क्रम में पाये जाने पर भूखण्ड/भवन की दाखिल खारिज की कार्यवाही की जायेगी तथा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। यदि 90 दिनों के भीतर अंतरण प्रलेख की प्रति संबंधित अनुभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई तो अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति)
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (सिस्टम) को सिस्टम में तद्नुसार तत्काल अपडेशन हेतु।
4. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति / वाणिज्यिक) को अनुपालनार्थ।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी